उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।
(समाज कल्याण शाखा)
सूचना।

सरकार के सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार रांची के ज्ञापांक– 2757 दिनांक– 12.10.2018 के आलोक में समेकित बाल संरक्षण योजना अर्न्तगत सम्प्रेक्षण गृह में चिन्हित पदो अनुसार संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में Online Website- http://recruitment.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

2. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी :–

क्रमांक	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
01	गृहपति	अनारक्षित	01
02	कला और शिल्क सह संगीत अध्यापक	अनारक्षित	01
03	शारीरिक अनुदेशक	अनारक्षित	01

3. कंडिका– 02 में वर्णित पदों का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएँ –

क्र0सं0	पदनाम	नियत वेतन, मासिक (प्रति दर)	योग्यता/अनुभव
1	गृहपति	रू0 14564/–	**शैक्षणिक योग्यता–** स्नातक **अन्य योग्यताएँ –** 1. अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की गति शुद्धता सहित। उम्र सीमा – 35 वर्ष से अधिक नहीं।
2	कला और शिल्प –सह–संगीत अध्यापक	रू0 10000/–	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–** मैट्रिक पास एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कला और शिल्प/संगीत के विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा – न्यूनतम 21 वर्ष।
3	शारीरिक अनुदेशक	रू0 10000/–	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–** मैट्रिक पास एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से योग के विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का होना या योग सर्टिफिकेशन बोर्ड/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिस्फाइड योग शिक्षक होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा – न्यूनतम 21 वर्ष।

क) आयु की गणना हेतु तिथि – 01.01.2023

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प– 29 दिनांक– 04.01.2021 के आलोक में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी –

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु
अनराक्षित	21वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष

महिला (अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग)	21 वर्ष	38 वर्ष	48 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

(ग) भूतपूर्व सैनिको को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षो की छूट होगी।

5. सभी पद पूर्ण से अस्थाई (अनुबंध पर) होगें। इन पदो के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकरण का दावा अमान्य होगा एवं योजना की समाप्ति के साथ सभी पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

6. **(क) संविदा पर नियुक्ति की शर्त्ते –**

i. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक– 14/स्थानीयता नीति–14 01/2021 का0 229/रांची, दिनांक– 19.01.2022 के आलोक में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होगें।

ii. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक– 15 नीति–नि0–07–05/2021 का0 3842/रांची, दिनांक– 10.08.2021 के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से मैट्रिक या 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यार्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से मैट्रिक या 10 वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

iii. संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर सेवा हेतु कार्यरत कर्मियों के वार्षिक मूल्याकंन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।

iv. उपर्युक्त पदों पर कार्यरत किसी भी कर्मी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंध एक माह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

v. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों का किसी भी परिस्थिति में स्थाई नियोजन नहीं होगा। इन स्वीकृत पदों पर कर्मियों को नियत वेतन के विरूद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।

vi. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा नियुक्ति प्राधिकार घोषित पदाधिकारी आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्त्तो एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।

vii. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होगे।

viii. संविदा पर नियुक्त कर्मी मासिक परिश्रम राशि के संबंध में योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा। वो मान्य होगा।

(ख) संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया –

i. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है।

ii. उपर्युक्त पदों के लिए संबधित जिले के उपायुक्त, नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

iii. उक्त पदो के प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड होंगे।

iv. चयनित अभ्यार्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर चयनित अभ्यार्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

v. प्रत्येक स्तर पर – प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पटल, स्थानीय समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

vi. एक से अधिक पदों की अर्हता रखनेवाले इच्छुक अभ्यार्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करने होंगे।

(ग) **चयन का मापदण्ड –**

i. वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। जिन्होंने कंडिका–3 में उल्लेखित संबंधित पदों के सभी शैक्षणिक योग्यता यथा– मैट्रिक, इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो।

ii. प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने निमित अभ्यार्थियों के शैक्षाणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे।

क्रम	पदनाम	न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता	मापदण्ड का प्रतिशतता				
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल प्रतिशतता
01	गृहपति	स्नातक	30	30	40	–	100
02	कला और शिल्प –सह–संगीत अध्यापक	मैट्रिक	स्थानीय प्रमाणित योग प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चयनित हो तो वैसी स्थिति योग कोर्स के प्राप्तांक दूसरा निर्णयक कारक होगा।				
03	शारीरिक अनुदेशक						

उदाहरण – उपरोक्त सभी पदो के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी :–

शैक्षाणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	30%	19.5
इन्टर	1000	475	47.5	30%	14.25
स्नातक	1000	585	58.5	40%	23.4
कुल					57.15

उक्त आधार पर प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

प्रत्येक पद की रिक्ति के 5 गुणा चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा एवं उनका कम्प्यूटर हिन्दी तथा अग्रेजी टाईपिंग जांच परीक्षा के लिए की जायेगी।

कम्प्यूटर हिन्दी तथा अग्रेजी टाईपिंग क्रमशः 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर हिन्दी तथा अग्रेजी टाईपिंग में किसी अंक का देयता नहीं है। टाईपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(घ) **आवेदन की प्रक्रिया –**

1. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विहित प्रपत्र में Online Website- http://recruitment.jharkhand.gov.in पर समर्पित करेंगे तथा निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति upload करेंगे।
   a. मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
   b. इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
   c. स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
   d. स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। (मात्र परामर्शी पद के लिए)
   e. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।
   f. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (आयु में छुट के लिए)
   g. अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
   h. हिन्दी एवं अग्रेजी टकंण दक्षता प्रमाण पत्र।
   i. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

j. यदि आवेदक किसी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ङ) **अन्यान्य**

1. अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15/06/2023 है।
2. नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को http://recruitment.jharkhand.gov.in, gumla.nic.in पर तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय, गुमला के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

29/5/23

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

29/5/23